

पेंशन और पारिवारिक पेंशन पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन प्रपत्र

(01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत पेशनर/पारिवारिक पेंशनधारियों के प्रयोग हेतु)

पत्रांक :-

दिनांक :-

प्रेषक :-

सेवा में,

**महालेखाकार (लेखा एवं हक0) बिहार,
वीर चन्द्र पटेल पथ, पटना -800001.**

विषय :- श्री/श्रीमती **(सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवक का नाम) धारक पी0पी0ओ0
संख्या-** **के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनर्निर्धारण के संबंध में।**

महाशय,

वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या- 755 दिनांक 20.10.2017 के आलोक में दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवक के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण एवं पुनर्निर्धारण कर संशोधित पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु निम्न सूचनाएँ उपलब्ध कराई जा रही है :-

1. पी0पी0ओ0 संख्या :-

2. सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवक का नाम :-

3. पदनाम :-

4. अंतिम पदस्थापन कार्यालय :-

5.

जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	से0नि0 तिथि	मृत्यु की तिथि

6. शुद्ध अर्हक सेवा :-

7. पारिवारिक पेंशनर का नाम :-

8. सेवानिवृत्ति के समय :-

(i) अंतिम वेतन :-

(ii) वेतनमान/पे बैंड/ग्रेड पे :-

(iii) अंतिम मूल पेंशन :-

(iv) अंतिम मूल पारिवारिक पेंशन का :-

(क) वर्ष्णित दर :-

(ख) सामान्य दर :-

09. 01.01.2016 को वैचारिक वेतन :-

(i) अंतिम वैचारिक वेतन :-

(ii) वेतनमान का लेवल :-

10. कौषागार का नाम :-

11. वर्तमान पता :-

12. आधार संख्या :-

13. मोबाइल संख्या :-

14. बैंक विवरणी :-

(i) बैंक का नाम :-

(ii) बैंक खाता संख्या :-

(iii)आई.एफ.एस.री.कोड :-

अनु०-(i) अंतिम वेतन व वेतनमान संबंधी उपलब्ध साक्ष्य।

(ii)पी0पी0ओ0 बुक की छायाप्रति।

पेंशनर/पारिवारिक पेंशन का हस्ताक्षर नियंत्री पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदा० का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- (1) वैसे राजपत्रित पदाधिकारी जिनका वेतन-पूर्जा महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार कार्यालय से निर्गत होता था, वे अपना आवेदन पी०पी०ओ० बुक का पेंशनर प्रति का छायाप्रति एवं वेतन-पूर्जा की छायाप्रति/ऑडिट संख्या के साथ सीधे महालेखाकार(ले० एवं हक०) बिहार कार्यालय को देंगे ।

(2) वैसे राजपत्रित पदाधिकारी जिनका वेतन-पूर्जा वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना कार्यालय से निर्गत होता था, वे अपना आवेदन उपरोक्त वांछित सूचनाओं के साथ वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना कार्यालय के माध्यम से महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार कार्यालय को भेजवाएँ।